an>

Title : Motion for consideration of Statutory Resolution regarding Disapproval of Mineral Laws (Amendment) Ordinance, 2020 (Ordinance No. 1 of 2020) and the Mineral Laws (Amendment) Bill, 2020 (Not Concluded).

माननीय सभापति: आइटम नम्बर 13 एवं 14 - खनिज विधि (संशोधन) विधेयक, 2020.

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Madam, I am moving the resolution but I am not able to speak. …(*Interruptions*)

Madam, I beg to move:

"That this House disapproves of the Mineral Laws (Amendment) Ordinance, 2020 (Ordinance No.1 of 2020) promulgated by the President on 10 January, 2020."

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Madam, with your permission, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 and to amend the Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015, be taken into consideration."

मैडम, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट बिल है। इससे एन्टायर माइन सेक्टर में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। जो माइंस मार्च, 2020 में बंद हो रहे हैं, उनमें जो मिनरल्स की शॉर्टेज हो रही थी, वह इस अमेंडमेंट से दूर हो जाएगी। …

(व्यवधान) इसके अलावा, कोल सेक्टर में जो बदलाव ला रहे हैं, शेड्यूल 2 और 3 में जो इंडिविजुअल रेस्ट्रिक्शंस थे और एक्ट में प्रावधान था कि जो कोल माइंस इंडिया के हैं, उनको ही कोल माइनिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए।...(व्यवधान) हम सेल ऑफ कोल की जो बात करते हैं, उसमें भी एक रेस्ट्रिक्शन था, हम उसको भी हटा रहे हैं। इतना अधिक कोल रहते हुए भी हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, इसलिए देशहित में सीएमएसपी एक्ट और एमएमडीआर एक्ट में अमेंडमेंट करना बहुत जरूरी है।...(व्यवधान)

Since House is not in order, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसे बिना डिसकशन के पारित करें। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : अब मैं श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा प्रस्तुत सांविधिक संकल्प को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 10 जनवरी, 2020 को प्रख्यापित खनिज विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक1) का निरनुमोदन करती है।"

<u>प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।</u>

...(<u>व्यवधान</u>)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

"कि खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 का और संशोधन करने के लिए तथा कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 का संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

…(व्यवधान)

माननीय सभापति: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

Clause 2 Insertion of new section 4B

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

-

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

…(व्यवधान)

Clause 3 Amendment of section 5

माननीय सभापति : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन संख्या – **1** प्रस्तुत करना चाहते हैं**?**

…(व्यवधान)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : I beg to move:

Page 2, line 15,--

after "required for"

insert "those strictly complying with the terms and conditions in the licence and not violating any provisions of law during the period for which licence was issued for". (1)

…(*Interruptions*)

माननीय सभापति: सभा की कार्यवाही तीन बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

14.05 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fifteen of the Clock

-

The Lok Sabha re-assembled at Fifteen of the Clock.

(Shrimati Meenakashi Lekhi *in the Chair*)